

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज़

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे:-

- संकल्प
- सामान्य आदेश
- नियम
- अधिसूचनाएँ
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन
- प्रेस विज्ञप्तियाँ
- संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात
- संविदा
- करार
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
- अनुज्ञा-पत्र (परमिट)
- निविदा सूचनाएँ
- निविदा फार्म

नोट:

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार “यह सुनिश्चित करना ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों दायित्व होगा कि ऐसे दस्तावेज़ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाएँ, निष्पादित अथवा जारी किए जाएँ।”